

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :-एफ.3 (ख)(एस-730/88) /अलेसे-II/

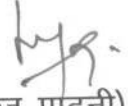
दिनांक:-

31 MAY 2016

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 913-19 दिनांक 27.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया है कि कार्यालय-अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनआरएचएम), जयपुर में कार्यरत श्री संजय कुमार जैन, स.ले.अ.ग्रेड-II को 2500/- रुपये की रिश्त प्राप्त करने पर दिनांक 24.05.2016 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर इनके विरुद्ध अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2016 पंजीबद्ध की गई है।

अतः श्री संजय कुमार जैन, स.ले.अ.ग्रेड-II, कार्यालय-अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनआरएचएम), जयपुर, को गिरफ्तार किये जाने की दिनांक 24.05.2016 से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री जैन का मुख्यालय कोषालय, टोंक किया जाता है। श्री जैन को निलंबन काल में नियमानुसार 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता देय होगा।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :-एफ.3 (ख)(एस-730/88) /अलेसे-II/ 392

दिनांक: 31 MAY 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 913-19 दिनांक 27.05.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि श्री जैन के विरुद्ध प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
2. कोषाधिकारी, जयपुर/टोंक।
3. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनआरएचएम), जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
5. श्री संजय कुमार जैन, स.ले.अ.ग्रेड-II, कार्यालय-अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनआरएचएम), जयपुर।
6. कम्प्यूटर विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।



(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)